पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0

मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

लखनऊ : 24 अक्टूबर, 2017

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :–

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की स्थापना और संचालन के लिए लखनऊ में 500 सीटों के कॉल सेण्टर की स्थापना का निर्णय

- प्रदेश के जन-सामान्य की शिकायतों आदि का समेकित रूप में पंजीकरण कर उनका त्वरित निस्तारण किये जाने के उद्देश्य से राज्य में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की स्थापना एवं संचालन के लिए लखनऊ में प्रारम्भिक चरण में 500 सीटों के एक इनबाउण्ड-आउटबाउण्ड कॉल सेन्टर की स्थापना किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के उक्त कॉल सेन्टर के लिए निर्धारित टौल-फ्री नम्बर पर आम नागरिकों द्वारा कॉल कर अपनी शिकायतें आदि दर्ज़ करायी जा सकेंगीं तथा सम्बन्धित विभागों के स्तर से उनके निवारण उपरान्त कॉल सेन्टर एजेन्ट्स द्वारा सम्बन्धित नागरिकों से इस सम्बन्ध में आउटबाउण्ड कॉलिंग से फीडबैक प्राप्त किया जायेगा।
- इस कॉल सेन्टर के बैक एण्ड पर एन.आई.सी. द्वारा पूर्व से संचालित इन्टीग्रेटेड ग्रीवेन्स रिड्रेसल सिस्टम (आईजीआरएस) को इन्टीग्रेट किया जायेगा तथा कॉल करने वाले नागरिकों की शिकायतें इस सिस्टम में ही पंजीकृत की जायेंगी।
- आईजीआरएस में भौतिक रूप से प्राप्त हो रहे प्रार्थना पत्रों, वेब पोर्टल, पीजी पोर्टल आदि के माध्यम से पंजीकृत हो रही शिकायतों के अतिरिक्त मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का यह कॉल सेन्टर टेलीफोन के माध्यम से नागरिकों की शिकायतें आदि दर्ज़ करने का महत्वपूर्ण पटल/साधन बनेगा।
- विभिन्न विभागों में सेवाओं/शिकायतों से सम्बन्धित हेल्पलाइन्स/कॉल सेन्टर्स संचालित हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की स्थापना उपरान्त एकल रूप में मुख्यतः यह हेल्पलाइन ही उपलब्ध रहेगी तथा आकस्मिक सेवाओं से सम्बन्धित अथवा ऐसे हेल्पलाइन्स/कॉल सेन्टर्स जो या तो राष्ट्रीय स्तर पर एक ही नम्बर से संचालित हैं अथवा जिनमें विशेषज्ञों द्वारा परामर्श दिया जाता है, वह सभी हेल्पलाइन्स/कॉल सेन्टर्स मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से पृथक रहते हुए जारी रहेंगीं।
- मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में मा. मुख्यमंत्री जी एवं अन्य अधिकारियों के लिए डैशबोर्ड की व्यवस्था उपलब्ध करायी जायेगी जिसके माध्यम से सभी विभागों तथा जनपदों की शिकायतों के विवरण/रिपोर्ट्स का अवलोकन एवं अनुश्रवण किया जा सकेगा।
- इसके अतिरिक्त हेल्पलाइन से आवश्यकतानुसार सरकारी योजनाओं के विषय में आमजन से फीडबैक व सुझाव भी प्राप्त किये जा सकेंगे। इस व्यवस्था से आम नागरिकों द्वारा पंजीकृत की जाने वाली शिकायतों एवं उनको होने वाली परेशानियों का विभागों के स्तर से शीघ्रातिशीघ्र निवारण हो सकेगा।
- इस व्यवस्था से आम नागरिकों को अपनी शिकायतों के निवारण के लिए न केवल विभिन्न विभागों/स्थानों पर जाने में लगने वाले समय एवं धन की बचत होगी अपितु एक कॉल के माध्यम से अपनी शिकायत के पंजीकरण, उसके अग्रसारण एवं निवारण की स्थिति ज्ञात करने की सुविधा मिलेगी।
- मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की स्थापना एवं संचालन हेतु आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग की नोडल संस्था यूपीडेस्को द्वारा खुली निविदा से कॉल सेन्टर एजेन्सी का चयन कर लिया गया है जिसके माध्यम से माह दिसम्बर, 2017 के अन्त तक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के कॉल सेन्टर की स्थापना का कार्य पूर्ण करते हुए उसका संचालन प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग–इन–पार्टनरशिप) योजना लागू करने का फैसला

- भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिए आवास (शहरी) मिशन का शुभारम्भ दिनांक 25.06.2015 को किया गया है। यह मिशन 2022 तक शहरी क्षेत्र के सभी पात्र परिवारों के लाभार्थियों को आवास प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करेगा।
- भारत सरकार द्वारा इस मिशन के चार कम्पोनेन्ट्स में से 'अफोर्डेबल हाउसिंग–इन पार्टनरशिप' कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत ई.डब्ल्यू.एस. हेतु अनुमन्य अनुदान के लिए केन्द्रांश रू. 1.50 लाख निर्धारित किया गया है जबकि रू. 1.0 लाख अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक ई.डब्ल्यू.एस.इकाई के लिए कुल रू. 2.50 लाख की सहायता उपलब्ध होगी।
- प्रधानमंत्री आवास योजना अफोर्डेबल हाउसिंग–इन पार्टनरशिप कम्पोनेन्ट (भागीदारी में किफायती आवास) के दिशा–निर्देशों के अनुसार रू. 1.50 लाख के केन्द्रीय अनुदान की पात्रता के लिए परियोजना में कम से कम 250 आवास तथा कुल आवासों का न्यूनतम 35 प्रतिशत ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के लिए होना अनिवार्य है।
- ई.डब्ल्यू.एस. आवासीय इकाईयों का न्यूनतम कारपेट एरिया 22.77 वर्ग मीटर एवं अधिकतम कारपेट एरिया 30 वर्ग मीटर तक होगा।
- योजना हेतु एफ.ए.आर. 2.5 एवं अधिकतम घनत्व 600 आवासीय इकाईयां प्रति हेक्टेयर अनुमन्य होगा। कुल एफ.ए.आर. का अधिकतम 10 प्रतिशत तल क्षेत्रफल व्यवसायिक उपयोग हेतु अनुमन्य होगा।
- योजनान्तर्गत चयनित विकासकर्ताओं को अनुमन्य इन्सेन्टिव्स के तहत अन्य सविधाओं के साथ–साथ भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की देयता में पूर्ण छूट तथा वाह्य विकास शुल्क की देयता में 50 प्रतिशत की छूट होगी।
- विकासकर्ता द्वारा योजना का क्रियान्वयन रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में पंजीकरण की तिथि से प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा।
- योजनान्तर्गत विकासकर्ता को वित्तीय सहायता हेतु प्रथम किस्त 40 प्रतिशत, द्वितीय किस्त 40 प्रतिशत तथा अंतिम किस्त 20 प्रतिशत शासकीय अभिकरण के माध्यम से दी जायेगी।

राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में

प्रदेश में आयुष विभाग के अन्तर्गत होम्योपैथिक विभाग में 07 राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय (आजमगढ़, गाजीपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद एवं 2 नवनिर्मित होम्योपैथिक महाविद्यालय, गोरखपुर एवं अलीगढ़)कुल संख्या–09 है। उक्त होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में शिक्षकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के कुल 778 पद सृजित है जिसके सापेक्ष 137 पद भरे एवं 641 पद रिक्त है। रिक्त पदों पर चयन हेतु लोक सेवा आयोग/अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को विभिन्न तिथियों में अधियाचन प्रेषित किये गये है परन्तु दोनों आयोगों से चयन की संस्तुतियां प्राप्त न होने के कारण कालेजों का शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है और सी0सी0एच0 के मानक की पूर्ति न होने के कारण उक्त कालेजों की मान्यता भी प्रभावित हो रही है।

भारत सरकार आयुष मंत्रालय को दिसम्बर, 2017 तक उक्त रिक्तियों की पूर्ति किये जाने का आश्वासन शासन द्वारा दिया गया है तत्क्रम में ही भारत सरकार द्वारा राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों की मान्यता वर्ष 2017–18 हेतु दी गयी है। इसलिए प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में शिक्षकों के रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने/एम0डी0 धारक होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी को राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में रिक्त शिक्षक के पदों पर तैनात किये जाने एवं मानदेय के रूप में अतिथि प्रवक्ता रखा जाना प्रस्तावित ।

जनपद चन्दौली में 400 के0वी0 उपकेन्द्र साहूपुरी एवं तत्सम्बन्धी लाइन के निर्माण का फैसला

जनपद चन्दौली में 400 के0वी0 उपकेन्द्र साहूपुरी एवं तत्सम्बन्धी लाइन के निर्माण हेतु कुल लागत रू0 414.41 करोड का कार्य किया जायेगा एवं उक्त कार्य का वित्त पोषण शासकीय अंशपूंजी एवं संस्थागत ऋण द्वारा 30:70 के अनुपात में किया जायेगा।

उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 में संशोधन कर 'डिजिटल पेमेण्ट' की व्यवस्था करने का निर्णय

- उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 के नियम–67 में प्राविधानित एकीकृत लाइसेंस शुल्क की धनराशि को कम किये जाने तथा उक्त नियमावली, 1965 के नियम–68 के उप नियम–(4) में संशोधन कर ''डिजिटल पेमेन्ट'' की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।
- उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 के नियम–67(वर्ग–6) के अन्तर्गत एकीकृत(यूनीफाईड) लाइसेन्स शुल्क की धनराशि रू0 1,00,000 को कम करके रू0 10,000 करने पर छोटे व्यापारियों द्वारा एकीकृत लाइसेंस लेने में रूचि ली जायेगी। मण्डी समितियों में लाइसेंसी व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने पर राजस्व आय में वृद्धि होगी, जो प्रदेश के विकास में सहायक होगी तथा रोजगार के अवसर भी वृद्धि होगी।
- प्रदेश की मण्डी समितियों को ई–मण्डी के रूप में विकसित करने तथा ई–पेमेन्ट/डिजिटल ट्रांजेक्शन की व्यवस्था लागू करने से मण्डी समितियों में कैशलेस/डिजिटल ट्रान्जेक्शन में को बढ़ावा मिलेगा।
- प्रस्तावित संशोधन के उपरान्त कैशलेश को बढ़ावा मिलेगा तथा करापवंचन पर भी रोक लगेगी।

उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली को प्रख्यापित करने का निर्णय

- **राज्य में औद्योगिक विकास एवं निजी क्षेत्र में निवेश एवं रोजगार को प्रोत्साहन देने एवं उद्योगपरक वातावरण सृजन करने के लिए उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 दिनांक 13.07.2017 को प्रख्यापित की गयी।**
- **नीति में निजी क्षेत्र में निवेश के साथ व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने पर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष बल दिया गया है, जिससे कि विशेष रूप से दिव्यांग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों/महिलाओं/गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के सदस्यों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के अलावा दिव्यांग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों/महिला श्रेणियों द्वारा प्रवर्तित औद्योगिक उपक्रमों को विशेष वित्तीय सुविधायें उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है।**
- **प्रस्तावित नियमावली में विशेष रूप से इस बिन्दु पर ध्यान केन्द्रित किया गया है कि प्रवर्तको द्वारा लघु, मध्यम, वृहद् एवं मेगा श्रेणियों के औद्योगिक उपक्रमों में प्रस्तावित निवेश हेतु आवेदन के सुलभ अवसर उपलब्ध हो सके।**
- **राज्य में अधिकतम निवेश आकर्षित करने एवं प्रदेश के उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाये रखना।**
- **''उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली '' पर मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन निवेदित है।**

फिल्म 'टॉयलेट–एक प्रेम कथा' में दर्शकों द्वारा प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय

प्रश्नगत फिल्म "टायलेट–एक प्रेम कथा" में दर्शकों द्वारा प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति के संबंध में आयुक्त, मनोरंजन कर द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत फिल्म खुले में शौच जाने की परम्परा को गम्भीरता से जन–सामान्य तक पहुंचाने और उसे मानसिक रूप से तैयार करने हेतु सशक्त माध्यम के रूप में सहायता करेगी। अतः जनहित में इस फिल्म को दर्शकों को कम टिकट मूल्य पर उपलब्ध कराया गया, जिससे अधिक से अधिक दर्शक इस फिल्म को देखें और वह उस सन्देश को समझ पाये तथा "स्वच्छ भारत मिशन" की सफलता में जनभागिता को और प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जा सके। इस संबंध में वॉयकाम–18, मीडिया प्रा0लि0 जियान विजन वर्ल्ड, सुभाष रोड़–विले पारले (ई) मुम्बई के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 29.05.2017 के द्वारा प्रदेश में कर से छूट दिये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रश्नगत फिल्म का पूर्व प्रदर्शन समिति द्वारा देखने के उपरांत फिल्म को प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने की संस्तुति की गयी है। अतः पूर्व प्रदर्शन समिति की संस्तुति के दृष्टिगत शासनादेश संख्या–612/11–6–2017–एम(43)/17 दिनांक 09.08.2017 में निहित व्यवस्थानुसार राज्य सरकार द्वारा फिल्म फिल्म "टायलेट–एक प्रेम कथा" में दर्शकों द्वारा प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने का निर्णय लिया गया है।

कृषकों को गेहूं एवं जौ की उन्नतशील प्रजातियों के प्रमाणित बीजों पर विशेष अनुदान द्वारा प्रोत्साहित करने का निर्णय

प्रमाणित बीजों पर अनुदान योजनान्तर्गत प्रदेश में गेहूँ एवं जौ फसलों के आच्छादन में वृद्धि तथा उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के दृष्टिगत उन्नतशील प्रजातियों के प्रमाणित बीजों के विस्तार हेतु कृषकों को गेहूँ एवं जौ बीजों पर विशेष अनुदान द्वारा प्रोत्साहित किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश द्वारा केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत देय अनुदान तथा राज्य सरकार से देय विशेष अनुदान बीज के मूल्य के 50 प्रतिशत की सीमा तक ही उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। गेहूँ एवं जौ फसलों के बीजों को क्रय करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये 2017–18 में कृषको को निम्नवत अनुदान अनुमन्य कराये जाने का निर्णय लिया गया है:–

(रूपयें/कुन्तल)

फसल का नाम	प्रमोशनल (10 वर्ष तक की अधिसूचित प्रजातियाँ)	मेन्टीनेन्स (10 वर्ष से अधिक तथा 15 वर्ष तक की अधिसूचित प्रजातियाँ)	फेजआउट (15वर्ष से अधिक की अधिसूचित प्रजातियाँ)
गेहूँ एवं जौ	600 (रूपये 200 की वृद्धि)	200(यथावत)	शून्य(यथावत)

इस प्रकार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य सेक्टर से प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रमाणित बीजों के वितरण पर प्रस्तावित विशेष अनुदान में वृद्धि के फलस्वरूप राज्य सरकार को इस मद में अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी।

उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ की चीनी मिलों को पेराई सत्र 2017–18 हेतु उ0प्र0 सहकारी बैंक/जिला सहकारी बैंकों से उपलब्ध कराई जाने वाली नकद साख सीमा की सुविधा के लिए शासकीय गारण्टी देने तथा शासकीय गारण्टी पर देय गारण्टी शुल्क माफ करने का निर्णय

1– उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 की चीनी मिलों को चलाये जाने हेतु उ0प्र0 सहकारी बैंक/जिला सहकारी बैंकों से ली जाने वाली नकद साख सीमा के विरूद्ध शासकीय गारन्टी दी जाती है।

2– उक्त शासकीय गारन्टी प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है।

3– विगत् पेराई सत्र 2016–17 में रू0 2001.14 करोड़ की नकद साख सीमा के विरूद्ध शासकीय गारन्टी दी गई थी तथा पेराई सत्र 2017–18 में रू0 2307.48 करोड़ की नकद साख सीमा के विरूद्ध शासकीय गारन्टी दी जानी है।

4– उक्त शासकीय गारन्टी पर देय गारन्टी शुल्क रू0 5.77 करोड को भी माफ किया जाना है।

आई0सी0डी0एस0 योजना के तहत नवीन ई–निविदा की कार्यवाही निष्पादित होने की समयावधि में वर्ष 2013 के अनुबन्ध की दरों/शर्तों पर पोषाहार की आपूर्ति 03 माह अथवा नवीन ई–निविदा निष्पादित होने तक बनाए रखने का निर्णय

प्रदेश में आईसीडीएस योजना के अन्तर्गत नवीन ई–निविदा की कार्यवाही निष्पादित होने की समयावधि में वर्ष 2013 के अनुबन्ध की दरों/ शर्तों पर पोषाहार की आपूर्ति तीन माह अथवा नवीन ई–निविदा निष्पादित होने तक (जो भी पहले घटित हो) बनाये रखने के सम्बन्ध में मा0 मंत्रि–परिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है।

लखनऊ में नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र की स्थापना सम्बन्धी परियोजना में उच्च विशिष्टियों के प्रयोग को मंजूरी

तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार जनपद लखनऊ में नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र के स्थापना की परियोजना शासनादेश संख्या–1095/नौ –9–12–74ज /2011 दिनांक 4 जुलाई, 2012 के द्वारा स्वीकृत की गयी है। उपर्युक्त शासनादेश मा0 मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 7–6–2012 में दिये गये अनुमोदन के क्रम में निर्गत किया गया है। उक्त परियोजना की मूल लागत रू0 64.32 करोड मा0 मत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित की गई है। परियोजना का निर्माण कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 जल निगम द्वारा किया जा रहा है तथा परियोजना का वित्त पोषण राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि के प्रशिक्षण मद में प्राविधानित धनराशि 0.1 प्रतिशत से किया जा रहा है। योजना का कार्य दिनांक 28–2–2014 से प्रारम्भ किया गया है। भवन निर्माण कार्य लगभग पूर्ण है एवं फिनिसिंग का कार्य प्रगति पर है। अभी तक योजना के अन्तर्गत रू0 64.32 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी है।

परियोजना की मूल लागत रू0 64.32 करोड़ वर्ष 2013 के शिडयूल ऑफ रेट पर आधारित थी तथा पुनरीक्षित लागत, जिस पर व्यय वित्त समिति द्वारा दिनांक 22.12.2016 को अनुमोदन दिया गया, वह रू0 109.44 करोड़ है, जो वर्ष 2015 के शिडयूल ऑफ रेट पर आधारित है। परियोजना में कतिपय नए कार्य भी शामिल किये गये, जिनका प्राक्कलन मूल परियोजना में सम्मिलित नहीं था। परियोजना लागत में रू0 45.12 करोड़ (109.44 - 64.32) की बढोत्तरी हुई है। दर पुनरीक्षण की वजह से परियोजना लागत में रू0 3.45 करोड़ की बढ़ोत्तरी हो रही है तथा परियोजना लागत में अन्य बढोत्तरी का कारण पुनरीक्षित प्राक्कलन में नये व विशिष्ट कार्यो को शामिल करने की वजह से है।

पुनरीक्षित परियोजना में आडियों एवं वीडियो सिस्टम, स्मार्ट क्लास रूम, डेटा नेटवर्किंग, सेन्ट्रलाइज्ड यू0पी0एस0, सी0सी0टी0वी0 सिस्टम, आई0पी0 पी0 वी0एक्स, वीडियो वाल इन कान्फ्रेन्स रूम, बिल्डिंग मैनेजमेन्ट सिस्टम, सोलर प्लान्ट, आर0ओ0 प्लान्ट, आडीटोरियम हेतु साउण्ड एवं लाइटिंग तथा फर्नीचर की लागत रू0 14.08 करोड़ सम्मिलित करते हुये परियोजना की कुल लागत रू0 109.43 करोड़ होती है।

प्रश्नगत परियोजना में कान्फ्रेन्स रूम में वीडियोवाल, एकास्टिक फाल्स सीलिंग, स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग एवं ग्रेनाइड क्लेडिंग आदि कार्यमदें उच्च विशिष्टि श्रेणी की है। अतः इन कार्यमदों पर मा0मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

भूमिधरी कृषिकीय कृषि भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू/मौरम को हटाने हेतु खनन अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति

भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित ''खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा–15'' के अन्तर्गत उपखनिजों को व्यवस्थित करने एवं परिहार स्वीकृत करने की प्रशासनिक व्यवस्था हेतु प्राप्त शक्ति के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 बनाई गई है।

2. उक्त नियमावली के नियम–52–'क' में 'कृषिकीय भूमि पर जिलाधिकारी द्वारा खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत करने की प्रक्रिया निर्धारित है। सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा तहसीलदार/खान अधिकारी या खान निरीक्षक की आख्या के प्रकाश में एक फसली वर्ष में भूमिधर के पक्ष में तीन माह से अनाधिक अवधि के लिये स्वामित्व की धनराशि को अग्रिम रूप से जमा कराकर यथा प्रक्रिया खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किया जा सकता है।

3. कृषिकीय भूमि पर बाढ़ के कारण एकत्रित बालू, मौरम को हटाये जाने से भूमि कृषि कार्य के लिये उपयोग में लायी जा सकेगी, बालू/मौरम की बाजार में उपलब्धता में वृद्धि होने के कारण उसकी दर में भी गिरावट आयेगी और राज्य सरकार को रायल्टी की धनराशि प्राप्त होने के कारण राजस्व प्राप्ति में वृद्धि होगी।

4. कृषिकीय भूमि पर बालू/मौरम के जमाव को हटाये जाने से भू–स्वामी को हो रही क्षति से राहत मिलेगी।

5. कृषिकीय भूमि से बालू, मौरम को हटाये जाने से इस कार्य और निर्माण प्रक्रिया से जुड़े व्यक्तियों को कार्य के अवसर प्राप्त होगें।

पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे परियोजना के आंशिक वित्त पोषण हेतु हडको से ऋण प्राप्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव मंजूर

- विषयांतर्गत परियोजना के आंशिक वित्त पोषण हेतु हडको से ऋण प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया प्रस्तावित है।
- हडको से रु०1179.00 करोड़ (रूपये एक हजार एक सौ उन्यासी करोड़ मात्र) का ऋण परियाजना हेतु भूमि क्रय करने हेतु लिया जाएगा। ब्याज 10.30 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर देय होगा।

- राज्य सरकार द्वारा हडको के पक्ष में इस ऋण हेतु 'शासकीय गारंटी' एवं राज्य सरकार द्वारा ब्याज/मूलधन की किश्त को बजट प्राविधान के माध्यम से त्रैमासिक आधार पर दो वर्ष के मोरैटोरियम अवधि के पश्चात 52 किश्तों में 13वर्ष की अवधि में चुकाए जाने का सहमति पत्र ('लेटर ऑफ कमफर्ट') अपेक्षित है।

- भूमि क्रय हेतु ऋण यूपीडा द्वारा दो वर्ष के अंदर उपभोग करने की अपेक्षा है जिसकी समय सारणी ऋण की शर्तों के अधीन शासन के अनुमोदन से निश्चित की जाएगी।

- शासन के इस निर्णय से रु०1179.00 करोड़ (रूपये एक हजार एक सौ उन्यासी करोड़ मात्र) की सीमा तक बजट प्रतिभार कम हो सकेगा जिसका उपयोग राज्य सरकार अन्य कार्यों हेतु कर सकेगी। साथ ही 'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना' के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होने से निर्माण कार्य को गतिमान किया जा सकेगा तथा इस परियोजना के समस्त लाभ जन सामान्य को यथाशीघ्र प्राप्त हो सकेंगे।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण की कारपोरेट पार्क योजना के मध्य स्थित जीर्ण–शीर्ण निरीक्षण भवन के ध्वस्तीकरण का निर्णय

➢ गोरखपुर विकास प्राधिकरण की कारपोरेट पार्क योजना के मध्य स्थित 3.54 एकड़ क्षेत्रफल में जीर्ण–शीर्ण निरीक्षण भवन के ध्वस्तीकरण के सम्बन्ध में।

➢ लोक निर्माण अनुभाग–5 के शासनादेश संख्या–1883ईजी/23–5– 13–50(40)ईजी/01 दिनांक 10.10.2013 द्वारा उ0प्र0 राजकीय स्वामित्व के भवनों के ध्वस्तीकरण के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को निरस्त करते हुए राज्य के स्वामित्व के भवनों का ध्वस्तीकरण किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था विहित है:–

> '' पूर्व में विद्यमान वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–1–5 लोक निर्माण विभाग के अनुरक्षण मैनुअल पार्ट–II भवन (भवन), उ0प्र0 कार्य नियमावली–1975 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।''

- लोक निर्माण विभाग के शासनादेश दिनांक 10.10.2013 में की गयी व्यवस्था के आलोक में प्रशासकीय विभाग को मात्र रूपये 50,000/– से रूपये 1.00 लाख तक खाता मूल्य के भवनों को निष्प्रयोज्य घोषित कर ध्वस्तीकरण किये जाने का अधिकार प्राप्त है।
- कार्यदायी संस्था–उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोरखपुर इकाई–1द्वारा निष्प्रयोज्य सम्पत्ति का कुल ह्रास मूल्य रूपये 2,04,39,211.00 (रूपये दो करोड चार लाख उन्नतालिस हजार दो सौ ग्यारह मात्र) एवं ध्वस्तीकरण पर आने वाला व्यय रू0 4,35,000.00 (रूपये चार लाख पैतिस हजार मात्र) निर्धारित किया गया है, जिसमें से स्कैप मूल्य रूपये 6,89,823.00 (रूपये छः लाख नवासी हजार आठ सो तेईस मात्र) को घटाने के पश्चात परिणामी लागत रू0 2,01,84,388.00 (रूपये दो करोड एक लाख चौरासी हजार तीन सौ अट्ठासी मात्र) को बट्टे खाते में डाला जायेगा।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के नवीन मुख्यालय भवन के निर्माण में उच्च विशिष्टियों के प्रयोग को अनुमति

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के नवीन मुख्यालय भवन का निर्माण पार्क रोड स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय परिसर में रिक्त भूमि (क्षेत्रफल 3823 वर्गमीटर) पर किया जायेगा। प्रश्नगत भूमि सूचना विभाग को प्राप्त हो चुकी है, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के नवीन मुख्यालय भवन के निर्माण के सम्बन्ध में, व्यय वित्त समिति की दिनांक 15–09–2017 को सम्पन्न बैठक में संशोधित प्रायोजना प्रस्ताव प्रस्तावित लागत रू0–8459.33 लाख के सापेक्ष संशोधित लागत रूपये–5047.01 लाख पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के नवीन मुख्यालय भवन के निर्माण हेतु बजट में वर्तमान वित्तीय वर्ष में रू0–24.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है। व्यय वित्त समिति द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि प्रायोजनान्तर्गत टफेण्ड ग्लास डोर, रिफलेक्टिव ग्लास, फायर रेटेड डोर, स्टेज फाल्स सीलिंग कारपेटिंग एवं वाल पैनलिंग, वाल पैनलिंग वुडेन फ्रेम वर्क आदि कार्य उच्च विशिष्ट श्रेणी के हैं एवं इसका अनुमोदन मा0 मंत्रिपरिषद से प्राप्त किया जाना है। अतः व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 15–09–2017 की अपेक्षानुसार सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के नवीन मुख्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु उक्त उच्च विशिष्टयों पर अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।

गाजीउद्दीन हैदर (जी0एच0) कैनाल, लखनऊ पर 120 एम0एल0डी0 क्षमता के सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट एवं तत्सम्बन्धी कार्यों हेतु 336.0845 करोड़ रु0 की संशोधित लागत अनुमोदित

- गाजीउद्दीन हैदर (जी0एच0) कैनाल, लखनऊ पर 120 एम0एल0डी0 क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट एवं तत्संबंधी कार्यों की अनुमानित लागत रू0 441.31 करोड़ को व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 06.10.2017 में कतिपय शर्तो की अधीन रू0 336.0845 करोड़ की लागत पर अनुमोदित किया गया है।
- वर्ष 2033 में इस नालें का परिकल्पित डिस्चार्ज लगभग 240 एम0एल0डी0 आंकलित किया गया है, इसी आधार पर निर्मित पम्पिंग क्षमता को घटाते हुये 120 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 के निर्माण का प्राविधान प्रस्तावित किया गया है।
- अमृत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित सीवरेज डिस्ट्रिक्ट–4 एवं सीवरेज डिस्ट्रिक्ट–2 में से सीवरेज डिस्ट्रिक्ट–4 जोन–2 व जोन–3 के क्षेत्रों जैसे: डालीबाग, राजभवन, उदयगंज, बापूभवन, नरही, जापलिंग रोड, राजाजीपुरम्, पारा, विक्रमादित्य मार्ग, सदर बाजार, ऐशबाग, मवैया, मोती नगर, राजेन्द्र नगर इत्यादि के भविष्य में प्रस्तावित सीवेज नेटवर्क का श्राव जी0एच0 कैनाल के इस एस0टी0पी0 पर शोधित किया जाना प्रस्तावित है।
- इस क्षेत्र के सीवरेज नेटवर्क का विकास होने से घरों का मलजल श्राव नालों में नगण्य हो जायेगा तथा यह समस्त श्राव सीवरेज नेटवर्क में प्रवाहित होकर प्रस्तावित एस0टी0पी0 तक पहुॅचेगा। जहॉ इसके शोधन के उपरान्त मानक के अनुसार शोधित उत्प्रवाह गोमती नदी में गिराया जायेगा। इस प्रस्तावित एस0टी0पी0 के निर्माण से गोमती नदी में इस नाले के माध्यम से मलजल का गिरना बन्द हो जायेगा एवं नदी में प्रदूषण भी रोका जा सकेगा।
- नगर निगम, लखनऊ क्षेत्रान्तर्गत लोहियापथ, चिड़ियाघर, डीजीपी कार्यालय के बीच हैदर कैनाल के दोनों तरफ रिक्त भूमि पर 120 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट एवं तत्सम्बन्धी कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।
- योजना की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 247.5412 करोड़ की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही प्रथम किश्त के रूप में रू0 10.00 करोड़ की धनराशि शासनादेश दिनांक 07.10.2016 द्वारा उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को अवमुक्त की गयी है। उपरोक्त कार्य की संशोधित लागत रू0 336.0845 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने तथा इस योजना का वित्त पोषण पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना (पूर्व में नया सवेरा योजना) से किया जाना प्रस्तावित है।

उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति–2017 अनुमोदित

प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास, पूॅजी निवेश, रोजगार सृजन एवं स्टेक होल्डर के आय में वृद्धि में सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए "उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति–2017" क्रियान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

यह नीति अधिसूचित होने की तिथि से आगामी 05 वर्ष तक प्रभावी होगी। इस नीति का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापना हेतु अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना, अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना, फूड प्रोसेसिंग जोन्स का चिन्हांकन करना, फूड प्रोसेसिंग पार्क, मेगा फूड पार्क एवं कोल्ड चेन सुविधा का विकास करना, पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करना, रोजगार का सृजन करना आदि है। इस नीति के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के अन्तर्गत निम्नांकित से संबंधित उद्योग सम्मिलित होगें :–

प्रदेश के कृषकों को उनकी आय का उचित एवं लाभकारी मूल्य दिलाने, कच्चे उत्पादों का मूल्य संवर्धन, प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना, उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर प्रसंस्कृत उत्पाद सुलभ कराना, रोजगार के नये अवसर, उपलब्ध मानव शक्ति की क्षमता एवं कौशल में वृद्धि करना तथा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त मानव शक्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उ0प्र0 प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति–2017 कियान्वित किया जाना है।

इस नीति के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निम्नांकित से संबंधित उद्योग सम्मिलित होंगे।

फल एवं सब्जी, पुष्प, मसाले, शहद, औषधीय एवं संगन्ध फसलें एवं मशरूम प्रसंस्करण।

कृषि उत्पाद यथा खाद्यान्न, दलहन और तिलहन के प्रसंस्कृत उत्पाद।

कृषि उत्पाद जैसे–मिल्क पाउडर, शिशु दुग्ध आहार, माल्टेड मिल्क फूड, कन्डेन्स्ड मिल्क, घी तथा अन्य डेयरी उत्पाद, पोल्ट्री और अण्डा, माँस तथा माँस उत्पाद का प्रसंस्करण।

मछली प्रसंस्करण।

डबलरोटी, तिलहन, भोजन (खाद्य), नाश्ता आहार, मिष्ठान (कोको प्रसंस्करण और चॉकलेट उत्पादन समेत), माल्टेड एक्सट्रैक्ट, प्रोटीन आइसोलेट, अधिक प्रोटीन वाले खाद्य, वीनिंग फूड और एक्सट्रूडेड खाद्य उत्पाद का प्रसंस्करण।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए विशेषीकृत पैकेजिंग।

रीफर व्हीकल्स/मोबाइल प्री–कूलिंग वैन।

पोस्ट हार्वेस्ट प्रबन्धन आधारित इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं एग्रो प्रोसेसिंग कलस्टर आधारित इन्फ्रास्ट्रक्चर का सृजन।

इस नीति के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना, विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण/उन्नयन पर प्लांट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल के कार्य का लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम 50 लाख तथा भारत सरकार की प्रधान मंत्री किसान योजना के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाली इकाईयों तथा मेगा फूड पार्क परियोजनाओं जिनमें न्यूनतम पूँजी निवेश रू0–50.00 करोड या अधिक हो, को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति परियोजना लागत पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

नीति के तहत सूक्ष्म एवं लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों एवं रीफर वीकल्स/मोबाईल प्री–कूलिंग वैन हेतु ब्याज उपदान की व्यवस्था की गयी है।

नीति सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगी। नीति अधिसूचित होने की तिथि से 05 वर्षों तक प्रभावी होगी।

नीति के तहत खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उद्यमिता विकास हेतु प्रशिक्षण/शिविरों का आयोजन किया जायेगा।

विकास कार्यों में इस्तेमाल होने वाली साधारण मिट्टी के उपयोग सम्बन्धी प्रक्रिया का निर्धारण

भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित ''खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा–15'' के अन्तर्गत उपखनिजों को व्यवस्थित करने एवं परिहार स्वीकृत करने की प्रशासनिक व्यवस्था हेतु राज्य सरकार द्वारा उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 बनाई गई है। भारत सरकार के खान मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 30.08.2000 द्वारा बांधो, सड़कों, रेलमार्गों के निर्माण के लिये भराई या समतल करने के उद्देश्य से प्रयुक्त सामान्य मिट्टी को उपखनिज (Minor Minerals) घोषित किया गया है।

2. उक्त प्रयोजन हेतु उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 में साधारण मिट्टी को उपखनिज की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है और इसके उपयोग पररू0 30प्रतिघन मीटर की दर से रायल्टी निर्धारित है, छोटे–छोटे गृहों के निर्माण/कुम्हार कार्य/मत्स्य पालन हेतु तालाबों को बनाने के लिये अपने खेत से 10 ट्राली मिट्टी का उपयोग में लाया जाना रायल्टी से आच्छादित नहीं है, किन्तु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों और विकास कार्यों हेतु साधारण मिट्टी के उपयोग की दशा में आवेदक को निर्धारित रायल्टी का भुगतान किया जाना अनिवार्य है।

3. छोटे–छोटे गृहों के निर्माण/कुम्हार कार्य/मत्स्य पालन हेतु तालाबों को बनाने के लिये एक कलेण्डर वर्ष में 10 ट्राली मिट्टी के उपयोग हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर सम्बन्धित उपजिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी कार्यालय के खनन अनुभाग में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के अधिकतम 10 दिन के अन्दर आवेदक द्वारा मिट्टी की निकासी किया जाना आवश्यक होगा।

4. विकास कार्यों के लिये उपयोग में लायी जाने वाली साधारण मिट्टी के लिये निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म से माइनिंग प्लान अनुमोदित कराकर स्वच्छता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त देय रायल्टी की धनराशि जमा कराकर जिलाधिकारी द्वारा खनन अनुज्ञा पत्र निर्गत किये जाने का प्राविधान नियमावली में है। विकास कार्यों/महत्वपूर्ण परियोजनाओं को नियत अवधि में पूर्ण करने के उद्देश्य से आवेदक/संस्था को साधारण मिट्टी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आवेदन पत्रों को समयबद्ध ढ़ग से निस्तारित करने के सम्बन्ध में समस्त जिलाधिकारियों को कड़े निर्देश निर्गत किया जाना प्रस्तावित है।

प्रयागराज मेला प्राधिकरण, इलाहाबाद के गठन का निर्णय

- इलाहाबाद में संगम पर प्रत्येक 12 वर्ष पर कुम्भ तथा 06 वर्ष पर अर्द्धकुम्भ का आयोजन किया जाता है। शेष 10 वर्षो में माघ मेले का आयोजन किया जाता है।
- कुम्भ/अर्द्धकुम्भ तथा माघ मेला का आयोजन यूनाइटेड प्रोविन्सेज मेलाज एक्ट, 1938 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाता है।
- संगम क्षेत्र के समुचित रख–रखाव व मेलों में आवश्यकतानुसार व्यवस्था तथा तीर्थयात्रियों के लिए आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के विकास व सुगम व्यवस्था के लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण, इलाहाबाद का गठन किये जाने का प्रस्ताव है।
- प्रयागराज मेला प्राधिकरण, इलाहाबाद का गठन हो जाने के बाद इसका प्रबंधन मण्डलायुक्त, इलाहाबाद द्वारा किया जायेगा। प्रयागराज मेला प्राधिकरण के गठन एवं तत्संबंधी अधिसूचना निर्गत करने हेतु मा0 मंत्रि परिषद के अनुमोदन निवेदित है।

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ताओं के पदों पर 70 वर्ष की आयु से कम सेवानिवृत्त अध्यापकों व प्रवक्ताओं को नियत वेतन व अवधि के लिए नियुक्त करने का निर्णय

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ताओं के क्रमशः लगभग 20,200 एवं 6,300 पद मौलिक रुप से रिक्त होने एवं रिक्त पदों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इलाहाबाद द्वारा अपेक्षित चयन की कार्यवाही न किये जाने के कारण छात्र/छात्राओं का अध्ययन प्रभावित हो रहा है साथ ही, सहायक अध्यापक/प्रवक्ता के आकस्मिक निधन, सेवाच्युत किये जाने या अन्यथा पद रिक्त होने पर भी छात्र/छात्राओं का अध्ययन प्रभावित होता है।

उपरोक्त के दृष्टिगत उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित अभ्यर्थी आने तक सहायक अध्यापक/प्रवक्ता के आकस्मिक निधन, सेवाच्युत किये जाने या सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप मौलिक रूप से पद रिक्त होने की स्थिति में एवं वर्तमान में मौलिक रूप से रिक्त पदों पर अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता के पदों पर सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता जो 01 जुलाई से ग्रीष्मावकाश होने तक की अवधि में 70 वर्ष की आयु पूर्ण न कर रहा हो, से आवेदन प्राप्त कर पूल का गठन कर सेवानिवृत्त प्रवक्ताओं को रुपये 20 हजार प्रतिमाह एवं सहायक अध्यापकों को रुपये 15 हजार प्रतिमाह के मानदेय पर वैकल्पिक व्यवस्था अन्तर्गत उनसे शिक्षण कार्य लिये जाने हेतु प्रश्नगत नियुक्तियॉ की जायेगी।

उ0प्र0 चलचित्र (विनियमन), अधिनियम, 1955 में संशोधन का निर्णय

उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 लगभग 60 वर्ष पुराना है। उसके उपरान्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में हुए तीव्र विकास एवं निर्माण की तकनीक में हुए परिवर्तनों के कारण वर्णित अधिनियम में संशोधन तथा नए प्राविधानों का समावेश किया जाना है। उ0प्र0 में माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 दिनांक 01.07.2017 से लागू होने के कारण उ0प्र0 आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 निरसित हो गया है जिससे विभिन्न मनोरंजन की अनुमति संबंधी प्राविधान वर्तमान में उपलब्ध न होने के कारण प्रस्तावित संशोधन में मनोरंजन को परिभाषित करते हुए केबिल सेवा, डी0टी0एच0 एवं इस अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त मनोरंजन को छोड़कर अन्य मनोरंजन की अनुमति हेतु प्राविधान का समावेश किया गया है। उक्त संशोधन के माध्यम से सिनेमा/वीडियो सिनेमा के लाइसेंसिंग संबंधी प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए आन लाईन किया जा रहा है तथा इसके समयबद्ध निस्तारण का प्राविधान भी किया जा रहा है। सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्सेज एवं वीडियो सिनेमा को एक बार में अधिकतम तीन वर्ष के स्थान पांच वर्ष की अवधि हेतु, लाइसेंस स्वीकृत/नवीनीकृत किये जाने संबंधी व्यवस्था की जा रही है ताकि इस क्षेत्र के व्यवसायियों को सुविधा प्राप्त हो सके। आधुनिक तकनीक के विस्तार के कारण सिनेमाघरों/मल्टीप्लेक्सेज के निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल से निश्चित परिधि के अन्दर राजस्व परिषद, राज्य लोक सेवा आयोग, शिक्षण संस्थान एवं चिकित्सालय न होने की बाध्यता को समाप्त किया जा रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य के दृष्टिगत शास्ति एवं शमन–शुल्क की धनराशियों में वृद्धि की जा रही है। प्रस्तावित संशोधन में सिनेमा निर्माण हेतु सक्षम प्राधिकरण को भी परिभाषित किया गया है। छोटे सिनेमा घरों के निर्माण हेतु मिनी सिनेमा की परिभाषा का समावेश भी किये जाने का निर्णय लिया गया है।

———————————